न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 119/2019 **दायर दिनांकः 02/08/2019**

उनवान

1. आबिद हुसैन आयु 37 वर्ष पुत्र रमजान खॉ जाति मुसलमान निवासी दीलोद हाथी तह0 अटरू जिला बारां (राज0) मो0न0— 9929904354 वादी

बनाम

1. रमजान खॉ आयु 75 वर्ष पुत्र मंग्गु खॉ जाति मुसलमान निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू हाल निवासी गर्ल्स स्कूल के पीछे वार्ड नं0 19 छबड़ा तह0 छबड़ा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री यशधुम्न सिंह।

आदेश दिनाक :29/08/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 53, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 409 का ख0न0 1272 का रकबा 3.66 है0, ख0न0 1647 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 1648 का रकबा 0.16 है0, कुल किता 3 का रकबा 3.87 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 रमजान खॉ के दर्ज खाता स्थित हैं। नवीन नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। वादी आबिद हुसैन का प्रतिवादी क्रम 1 रमजान खॉ पिता हैं। उक्त वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति हैं जिसमें वादी का जन्म से ही नोशनल शेयर से हिस्सा 1/2 एवं अधिकार बनता हैं। प्रतिवादी क्रम 1 के एक मात्र पुत्र आबिद हुसैन हैं इसके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं हैं। प्रतिवादी क्रम 1 ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से ख0न0 1647 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 1648 का रकबा 0.16 है0 का बैचान इस वर्ष 2019 में कर दिया हैं तथा शेष आराजी ख0न0 1272 का रकबा 3.66 है0 को बेचान करने की धमकी दी हैं। इसलिए ख0न0 1272 का रकबा 3.66 है0 में वादी को

हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का उक्त वर्णित आराजी में बटंवारा किया जाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान करें जिसका वादी अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं अगर प्रतिवादी क्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को रहन, बैचान एवं हस्तान्तरण कर दिया तो वादी को आराजी में चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 पारित की जावें कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से ख0न0 1272 का रकबा 3.66 है0 में वादी को हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का उक्त वर्णित आराजी में बटंवारा किया जाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को कही रहन, बैचान, हस्तान्तरण नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें। राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का विधिक नोटिस प्रेषित कर दिया हैं परन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। जिसे दर्ज कर नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार वर्ष 2019 में 0.21 है0 आराजी बेचान करने पर एवं अन्तिम बार शेष आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा बेचान करने की धमकी देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 20/07/2019 को आराजी वादी के खाते दर्ज करवाने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हैं। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल दीलोद हाथी पटवार मण्ड़ल दीलोद हाथी तह0 अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा उक्त वाद खातेदारी की घोषणा, बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने की वजह से उक्त वाद में तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अत : माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 पारित की जावें कि :—

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से खाता संख्या 409 का ख0न0 1272 का रकबा 3.66 है0 में वादी को हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का उक्त वर्णित आराजी में बटंवारा किया जाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द जावें कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को कही रहन, बैचान, हस्तानतरण नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वंय करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी कम 1 की ओर से श्री बद्रीलाल नागर एड0 द्वारा वकालत नामा पेश किया गया वादी एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम व माल दीलोद हाथी तहसील अटरू की खाता संख्या 409 का ख0नं0 1272 का रकबा 3.66 है0 में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा दर्ज करने मे प्रतिवादी कम 1 को कोई आपत्ति नही है तथा लोक अदालत की भावना से सहमत है वादी के हिस्सा 1/2 पूर्व दिशा तथा प्रतिवादी कम 1 के हिस्सा 1/2 पश्चिम रहेगा। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ख0नं0 1272 का रकबा 3.66 है0 आराजी का बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने में दौना पक्ष सहमत है।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि लोक अदालत की भावना से राजीनामा तस्दीक फरमाने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादी की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी कम 1 की पहचान श्री यशधुम्न एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम दिलोद हाथी की खाता संख्या 409 का ख0न0 1272 का रकबा 3.66 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते में हिस्सा 1/2 खाते दर्ज है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल दीलोद हाथी में खाता संख्या 409 का ख0न0 1272 का रकबा 3.66 है0, में से वादी को हिस्सा 1/2 पूर्व दिशा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, शेष आराजी प्रतिवादी के खाते में रहेगी। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 119/2019

उनवान

1. आबिद हुसैन आयु 37 वर्ष पुत्र रमजान खॉ जाति मुसलमान निवासी दीलोद हाथी तह0 अटरू जिला बारां (राज0) मो0न0– 9929904354 वादी

बनाम

1. रमजान खॉ आयु 75 वर्ष पुत्र मंग्गु खॉ जाति मुसलमान निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू हाल निवासी गर्ल्स स्कूल के पीछे वार्ड नं0 19 छबड़ा तह0 छबड़ा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री यशधुम्न सिंह।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल दीलोद हाथी में खाता संख्या 409 का ख0न0 1272 का रकबा 3.66 है0, में से वादी को हिस्सा 1/2 पूर्व दिशा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, शेष आराजी प्रतिवादी के खाते में रहेगी। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे,

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.08.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.09.04 17:41:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: